बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस.बी-2, पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्र, पटना-800 010

अधिसूचना संख्या: 19

पटना, दिनांक: 29-06-22

अधिसूचना

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत् राज्य पर्षद् द्वारा ईंट भट्ठा इकाई की स्थापना हेतु समय-समय पर निर्गत अधिसूचना एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा O.A. No: 61/2015 में दिनांक 06.05.2016 को पारित आदेश के तहत् बिहार राज्य की परिसीमा में स्थापित/ संचालित/ प्रस्तावित नये ईंट भट्ठा इकाईयों से प्राप्त आवेदनों का निष्पादन निम्नलिखित अधिसूचनाओं एवं दिशा-निदेशों के आधार पर सुनिश्चित किया जाना है:-

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली द्वारा O.A. No. 61/2015 में दिनांक 06.05.2016 को पारित आदेश;
(राज्य पर्षद् से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित ईंट भट्ठा इकाईयों के संबंध में)
2. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् की अधिसूचना संख्या-16, दिनांक 14.06.2021 द्वारा निर्गत दूरी संबंधित माप-दण्ड एवं दिशा-निदेश;
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत् ईंट भट्ठा इकाई की स्थापना हेतु निर्गत पर्यावरणीय मापदण्ड/दिशा-निदेश, पत्रांक GSR143(E), दिनांक 22.02.2022;
4. अधिसूचना संख्या-11, दिनांक 23.03.2022 द्वारा निर्गत दूरी संबंधित माप-दण्ड एवं दिशा-निदेश एवं
5. राज्य पर्षद् के अधिसूचना संख्या 38, दिनांक 20.12.2021 (CTE शुल्क की दोगुनी राशि);

उपरोक्त वर्णित अधिसूचनाओं/पर्यावरणीय दिशा-निदेश के अनुरूप ईंट भट्ठा इकाईयों से राज्य पर्षद में प्राप्त स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति आवेदनों का निष्पादन निम्न प्रकार सुनिश्चित किया जाय:-

क्र०सं०	स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति आवेदन	निष्पादन प्रक्रिया
1	ईंट भट्ठा इकाई जिन्हें पूर्व में इस निदेश के साथ दिनांक 31.08.2019 तक संचालनार्थ सहमति निर्गत किया गया था कि उक्त अवधि में स्वछतर तकनीक में परिवर्तित कर लेना के पश्चात् शुल्क-मुक्त पोर्टल पर आवेदन करने की	प्रासांगिक बिन्दूओं के आलोक में यह निर्णय लिया जाता है कि:- (i) राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार दिनांक 31.08.2019 तक भट्ठे को स्वछतर तकनीक में परिवर्तित कर लेना था। (ii) पूर्व में ईंट भट्ठा इकाईयों को पर्यावरण समाघात आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) से मिट्टी कटाई हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति लेना अनिवार्य था, जिसे सरकार द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

	स्थति में शेष सहमति अवधि का विस्तार किया जायेगा। साथ ही ऐसे ईंट भट्ठा इकाईयाँ जिन्हें पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि तक संचालनार्थ सहमति निर्गत की गयी। **उपरोक्त दोनों** परिस्थितियों में आवेदक द्वारा किन्हीं कारणों से शेष अवधि के लिए पुन: अवधि विस्तार आवेदन राज्य पर्षद् को उपलब्ध नहीं कराया गया है।	दोनों परिस्थितियों में राज्य पर्षद् द्वारा पूर्व में संचालनार्थ सहमति हेतु प्राप्त आवेदन के आधार पर दिनांक 31.08.2019 तक अथवा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैद्य तिथि तक सहमति स्वीकृत किया गया। उपरोक्त बिन्दूओं के अवलोकन के पश्चात् यह निर्णय लिया जाता है कि पूर्व निर्गत CTO की अवधि पूर्व आवेदन की तिथि से 5 वर्षो के लिए स्वत: स्वीकृत (Deemed Consent) मान्य होगा। Deemed Consent के अन्तर्गत निम्नलिखित परिस्थितियों में संचालनार्थ सहमति विस्तार निम्न प्रकार सुनिश्चित की जायगी:- (क) स्वत: स्वीकृत सहमति (Deemed Consent) अवधि के अन्दर संचालनार्थ सहमति अवधि विस्तार हेतु प्राप्त आवेदन का निष्पादन सामान्य रूप से किया जायेगा। (ख) स्वत: स्वीकृत सहमति (Deemed Consent) अवधि के समाप्ति के पश्चात् संचालनार्थ सहमति अवधि विस्तार हेतु प्राप्त आवेदन का निष्पादन के लिए आवेदक को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली द्वारा O.A. No.-61/2015 में दिनांक 06.05.2016 को पारित आदेश के तहत् पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि के रूप में रुपये 1.00 लाख (एक लाख रुपये) का भुगतान राज्य पर्षद को करना अनिवार्य होगा।
2	वैसे ईंट भट्ठा इकाई जिन्होंने दिनांक 23.03.2022 के पूर्व स्थापनार्थ सहमति हेतु आवेदन किया था। परन्तु किन्हीं कारणो से राज्य पर्षद द्वारा उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। पुन: स्थापनार्थ सहमति हेतु आवेदन के निष्पादन के संबंध में।	i. ईंट भट्ठा इकाई को स्वच्छतर तकनीक में परिवर्तित होना अनिवार्य होगा। ii. राज्य पर्षद की अधिसूचना संख्या-16, दिनांक 14.06.2021 द्वारा निर्गत दूरी संबंधी मापदण्ड एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन ईंट भट्ठा के स्थल को सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। iii. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली द्वारा O.A. No.-61/2015 में दिनांक 06.05.2016 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में रुपये 1.50 लाख (डेढ़ लाख रुपये) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि रूप में राज्य पर्षद को भुगतान करना अनिवार्य होगा। iv. स्थापनार्थ सहमति स्वीकृति के पश्चात् इकाई के संचालन हेतु सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3	स्थापनार्थ अथवा संचालनार्थ अथवा दोनों सहमति राज्य पर्षद् से प्राप्त किये बिना संचालित ईंट भट्ठा इकाई से प्राप्त स्थापनार्थ सहमति आवेदन।	i. ईंट भट्ठा इकाई को स्वछत्तर तकनीक में परिवर्तित होना अनिवार्य होगा; ii. इस प्रकार के ईंट भट्ठा का स्थल अधिसूचना संख्या-11, दिनांक 23.03.2022 द्वारा निर्गत दूरी संबंधी माप-दण्ड एवं दिशा-निदेशों के अनुरूप होना अनिवार्य होगा; iii. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा O.A. No. 61/2015 में दिनांक 06.05.2016 को पारित आदेश के तहत् आवेदक को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रू. 1.50 लाख (डेढ़ लाख रूपये) का भुगतान राज्य पर्षद् को कराना अनिवार्य होगा; iv. स्थापनार्थ सहमति प्राप्ति के पश्चात् ईंट भट्ठा इकाई के संचालन हेतु राज्य पर्षद् से सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4	पूर्व में स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त ईंट भट्ठा इकाईयों जिन्होंने तदोपरांत संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त नहीं किया है। ऐसे इकाईयों से प्राप्त स्थापनार्थ सहमति अवधि विस्तार हेतु आवेदन।	i. ईंट भट्ठा इकाई को स्वछतर तकनीक में परिवर्तित होना अनिवार्य होगा। ii. माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा O.A. No. 61/2015 में दिनांक 06.05.2016 को पारित आदेश के अनुपालन के अन्तर्गत आवेदक को रुपये 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि के रूप में भुगतान करना अनिवार्य होगा। iii. स्थापनार्थ सहमति प्राप्ति के पश्चात् ईंट भट्ठा इकाई के संचालन हेतु राज्य पर्षद् से सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5	संचालनार्थ सहमति (CTO) की मान्य अवधि समाप्ति के पश्चात् वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत् अवधि विस्तार हेतु प्राप्त आवेदन।	i. ईंट भट्ठा इकाई को स्वच्छतर तकनीक में निर्मित/परिवर्तित होना अनिवार्य होगा। ii. माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा O.A. No.61/2015 में दिनांक 06.05.2016 को पारित आदेश के अन्तर्गत आवेदक को रुपये 1.00 लाख (एक लाख रुपये) क्षतिपूर्ति राशि के रूप में भुगतान करना अनिवार्य होगा।

नोटः पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान निम्न प्रकार स्वीकार्य होगा:-

1. सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना के नाम से बैंक ड्राफ्ट राज्य पर्षद में समर्पित किया जा सकता है।
2. राज्य पर्षद के वेब-साईटः **bhocmms.bih.nic.in / bspcb.bihar.gov.in** के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान समर्पित किया जा सकता है।

29/8/22

(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य सचिव